seekingjustice

Legal eagles interact with DPS students

National Lok Adalat in progress in Dhanbad (top) and Jamshedpur on Saturday. PHOTOS: CHANDAN PAUL & ARVIND SHARMA

HT Correspondent
htjharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: It was first of its kind in Jharkhand when members of legal fraternity interacted with students of Class 8 during the National Lok Adalat to offer them an opportunity to have glimpses and insights of the functioning of the judicial system.

About 100 students of Delhi Public School, Ranchi, were the fortunate ones who participated in the National Lok Adalat proceedings held on the Jharkhand high court premises on Saturday.

"The students have studied about judicial system of our country but they got an opportunity for the first time to have live experience of the functioning of the system. Basically, the students are not aware about legal things. For a student, court means lengthy legal wrangle. We want to teach them about various other methods of dispute resolution available in our country including the lok adalat," said Shikha Gupta, DPS teacher, heading the students.

Chief Justice R Banumathi interacts with the students of Delhi Public School during the National Lok Adalat. in Ranchi on Saturday. DIWAKAR PRASAD/HT PHOTO

"We are greatly benefitted by the addresses of judges in this lok adalat. We came to know about various aspects of judicial system including the benefits and effectiveness of lok adalats," said Prithwish, a student of Class 8.

The students listened patiently to judges but when it came to joining the legal profession none were found desirous. On this, Justice DN Patel told the students that the profession was a glorious one and students should come forward to become a good lawyer. "We will ask your teacher to inspire you people to opt the legal profession," said Justice Patel. Chief justice R Banumathi also cut her precious time to mingle and interact with the students for a brief while.

> WE ARE GREATLY BENEFITTED BY THE ADDRESSES OF JUDGES IN THIS LOK ADALAT. WE CAME TO KNOW ABOUT VARIOUS ASPECTS OF JUDICIAL SYSTEM INCLUDING THE BENEFITS AND EFFECTIVENESS OF LOK ADALATS
>
> PRITHWISH, a student of Class 8

82 करोड़ रुपए का हुआ वितरण, सुगम सुनवाई के लिए सात बेंच का गठन किया गया था, रांची विवि ने 84 का बकाया भुगतान किया

हाइकोर्ट में लगी लोक अदालत, 632 मामले निपटे

राष्ट्रीय लोक अदालत में झारखंड में रिकॉर्ड 85 हजार विवादों का निपटारा किया गया। इन विवादों में 82 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। लोक अदालत हाइकोर्ट से लेकर अनुमंडल न्यायालयों में लगाई गई। इसमें सर्विस मैटर, बैंक के विवाद मोटर वाहन दुर्घटना, सेवानिवृत्ति, पेंशन के मामले प्रमुख थे। पारिवरिक विवादों का भी निपटारा हुआ। नौकरी से बर्खास्त 42 लोगों की सेवा वापस की गई। विभिन्न विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने कई मामले में विवादों को सुलझाने में मदद की। इधर झारखंड हाइकोर्ट की लोक अदालत में 1008 मामले सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें 632 मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों में 18 करोड़50 लाख 73 हजार 361 रुपए के मामले निपटाए गए। 1008 मामलों में 979 हाइकोर्ट में लंबित थे। कोर्ट जाने से पहले 129 मामलों का निपटारा किया गया। सुगम सुनवाई के लिए सात बेंच का गठन किया गया था।

रांची | मुख्य संवाददाता

लोक अदालत में पहला चेक रंजना वर्मा को देतीं चीफ जस्टिस आर बानुमति।

हाइकोर्ट परिसर में लगी लोक अदालत में शनिवार को पहुंचे लोग।

चीफ जस्टिस आर बानुमति ने हिंदी में भी अपनी बात कही। उन्होंने सबको जोहार करते हुए कहा कि झारखंड आने के बाद उन्हें काफी खुशी हुई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपके बीच अपने को पाकर भी बहुत खुश हूं। अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि उम्मीद है लोग लोक अदालत का पूरा लाभ उठाएंगे। लोगों को काफी सहुलियत होगी। आप सभी का धन्यवाद। उदघाटन समारोह में राज्य के कई विभाग के सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, रिटायर जज, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता समेत भारी संख्या में वकील एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

डीपीएस के 80 बच्चे पहुंचे

लोक अदालत में पहली बार स्कूल के बच्चे भी पहुंचे। डीपीएस रांची के आठवीं क्लास के 80 बच्चे झारखंड हाइकोर्ट पहुंचे। उन्होंने लोक अदालत के बारे में जानकारी हासिल की। भले ही जस्टिस डीएन पटेल के कहने पर किसी ने वकील बनने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन लोक अदालत देखने और इसकी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि इतने बच्चों के बीच कोई न कोई वकील तो जरूर बनेगा, लेकिन आठवीं में हम अपने करियर को लेकर उतना सजग नहीं होते। वकालत अच्छा पेशा है, लेकिन अभी से हम यह तय नहीं कर सकते कि हम क्या बनेंगे। सरकार की सेवा करने के कई माध्यम है। किसी न किसी माध्यम से सरकार और लोगों की सेवा हम अवश्य करेंगे।

स्कूल के छात्र ओम प्रकाश ने कहा कि लोक अदालत के बारे में समाचार पत्रों और किताबों में पढ़ा था। आज देखने का मौका मिला। वाकई यह आम लोगों के लिए काफी लाभदायक है। वह अपने स्तर से लोगों को इसके बारे में बताएंगे। इसी स्कूल की छात्रा श्रुति ने कहा कि हमें स्कूल में लोक अदालत के बारे में बताया गया था। आज पहली बार देख रही हूं। लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिला। यह सही में त्वरित न्याय दिलाने का अच्छा माध्यम है। स्कूली बच्चों के बीच नाश्ता और चॉकलेट का वितरण भी किया गया।

किसी को वकील बनने की इच्छा नहीं

उदघाटन भाषण के दौरान जस्टिस डीएन पटेल ने डीपीएस के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि स्कूली बच्चे भी लोक अदालत को जानने पहुंचे हैं। इससे पता चलता है कि न्यायपालिका के प्रति बच्चों में जागरूकता है। उन्होंने कहा कि कौन- कौन वकील बनना चाहते हैं हाथ उठाए। किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तब जस्टिस पटेल ने स्कूल के शिक्षकों से बच्चों को इसके प्रति प्रेरित करने का सुझाव दिया।

एक लाख मामलों के निपटारे की उम्मीद

जस्टिस एनएन तिवारी ने कहा कि इस लोक अदालत से करीब एक लाख मामलों के निपटारे की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि इस सिस्टम पर लोगों को विश्वास है। लोक अदालत का महत्व इसलिए भी है कि लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की अपील कहीं नहीं होती। इसका फैसला अंतिम होता है। यहां मामले सुलझने के बाद लोगों को शांति मिलती है। भागदौड़ से बच जाते हैं। इसलिए लोगों को इस पर विश्वास करते हुए इसका लाभ उठाना चाहिए।

42 बर्खास्त लोगों की सेवा वापस

लोक अदालत में कई बर्खास्त कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर लेने का भी निर्देश दिया गया। बीसपसीएल के 42 और सीसीएल के पांच कर्मचारियों को नौकरी मिली। बिना कारण अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। इनका मामला हाइकोर्ट से लोक अदालत में स्थानांतरित हुआ। इधर रांची विवि ने 84 कर्मियों का बकाया भुगतान किया। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों कर्मी शामिल हैं। विवि ने 4.13 करोड़ का चेक ग्रेच्युटी एवं अन्य बकाया के लिए दिया।

श्रम न्यायालय में आठ मामले निपटे

श्रम न्यायालय में आठ मामलों का निपटारा किया गया। सभी मामले मजदूरी विवाद से संबंधित थे। इनमें सात लाख 15 हजार 474 रुपए का मामला सुलझाया गया। यह जानकारी विकास कुमार सिन्हा ने दी। हाईकोर्ट एवं सिविल कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े 21 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें 35 लाख रुपए में मामले को निपटाया गया। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत में ओरिएंटल इंश्योरेंस के एक दर्जन विवादों का निपटारा किया गया।

संध्या की बुझती उम्मीदों को मिले पंख

रांची | हरींद्र तिवारी

लोक अदालत के उदघाटन स्थल पर गहमा-गहमी से दूर किनारे एक कुर्सी पर बैठी एक वृद्ध महिला। नाइटी पहने हुई। उसके ऊपर स्वेटर हाथ में स्टीक भी। आंखें इधर-उधर देख रहीं। जब किसी का नाम पुकारा जाता, तब वह कान माइक की ओर कर रही थी। लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी।

पूछने पर बताया कि उसका नाम संध्या रानी राय है। वह जमशेदपुर से आयी है। वह महिला स्वास्थ्य सुपरवाइजर है। 1977 में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। कई जिलों में काम किया। 16 जुलाई 02 से ऑफिस के काम से बैठक कर पटमदा से लौट रही थी कि बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें गंभीर चोट लगी। गर्दन की हड्डी टूट गई। सिर में भी गंभीर चोट आयी। टीएमएच में ऑपरेशन हुआ, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। लकवा मार गया। काम पर नहीं जा सकी। विभाग ने उनका वेतन बंद कर दिया। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया। वह वेल्लोर गईं। इलाज करायी। लेकिन आज तक न तो इलाज का खर्च ही मिला और न ही वेतन का भुगतान भी। कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया। आवेदन दिया गया, तो उन्हें अशक्त पेंशन (इनवैलिड पेंशन) देने का निर्देश दिया गया, लेकिन वह भी नहीं मिला। उन्होंने अपने वेतन आदि के लिए हाइकोर्ट में केस किया। संध्या के अनुसार उनके वकील ने बताया कि उनका मामला लोक अदालत में है। 23 को हाइकोर्ट पहुंचना होगा। वह पांच हजार रुपए खर्च कर जमशेदपुर से आयी हैं। बाद में पता चला कि उनका मामला लोक अदालत में सूचीबद्ध ही नहीं है। इसकी जानकारी चीफ जस्टिस के प्रधान सचिव को हुई। उन्होंने झालसा के सदस्य सचिव व दूसरे अधिकारियों को मामला देखने को कहा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे। कागजात देखे।

अधिकारियों ने कहा कि यह काम करने में असमर्थ हैं। इन्हें वीआरएस लेना चाहिए। लेकिन पूछने पर पता चला कि इसके लिए आवेदन नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख से न्यायिक अधिकारियों ने बात की। जानकारी दी। तब उन्होंने तत्काल अधिकारियों को संध्या से वीआरएस का आवेदन लेने को कहा। संध्या ने आवेदन दिया। अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र ही उन्हें वीआरएस दे दिया जाएगा। इससे उन्हें बकाया मिल जाएगा। पेंशन की हकदार भी होंगी। सुनने के बाद संध्या की आंखें चमक उठीं।

मिला इंसाफ

- लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी हुई कार्रवाई
- 2002 से बिस्तर पर थीं, वेतन भी नहीं मिल रहा
- अब लेंगी वीआरएस, मिलेगा वेतन

जेल से 16 बंदी छूटे

रांची। होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से शनिवार को 16 बंदी रिहा किए गए। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसके लिए चार बेंच का गठन किया गया था। यह जानकारी डीएलएसए के सचिव संतोष कुमार ने दी।

लोक अदालत की कार्यवाही देखने शनिवार को हाइकोर्ट पहुंचे डीपीएस रांची के आठवीं क्लास के बच्चे।

सिविल कोर्ट में निबटे 16 हजार मामले

रांची | संवाददाता

रांची सिविल कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकार्ड 16 हजार मामलों का निपटारा किया गया और 36 करोड़ रुपए की वसूली की गई। इतना ही नहीं राष्ट्रीय लोक अदालत ने दो दिलों को भी मिलाया। सबसे खास बात ये कि 46 साल पुराने जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले का निष्पादन किया गया।

19 मामले निपटाए : राष्ट्रीय लोक अदालत में केंद्रीय श्रम विभाग के 19 मामलों का निपटारा शनिवार को किया गया। इसमें लाभुकों (श्रमिक) को 42,55,179 रुपए दिए गए।

पांच दंपती ने साथ रहने की कसमें खाईं

सिविल कोर्ट के ईकोर्ट रूम में चीफ जस्टिस आर बानुमथि, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस एनएन तिवारी और प्रधान न्यायायुक्त एसएच काजमी ने 5 दंपतियों को खुशी से जिंदगी बिताने का आशीर्वाद दिया। इन दंपतियों ने भी गिले-शिकवे भूलकर साथ रहने की कसमें खाईं। इस दौरान मोटर वाहन दुर्घटना के 7 पीड़ितों को भी राशि दी गई।

सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट से कनेक्ट था ईकोर्ट रूम

सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस पी सतशिवम, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस जीएस सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन जस्टिस एके पटनायक, हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस आर बानुमथि, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल और हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन एनएन तिवारी ने शनिवार सुबह नौ बजे सिविल कोर्ट के ईकोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही देखी।

National lok adalat: A case in point

Over 85,000 Cases Resolved In A Day Across The State

Jaideep Deogharia | TNN

Ranchi: The efforts of judiciary to reduce the burden of pending cases and prevent few pre-litigation suits from entering into the already overloaded system yielded unprecedented results in Jharkhand on Saturday.

For the first time in history as many as 85,000 cases were resolved or disposed of in a single day, thanks to the National Lok Adalat sessions held in the state high court, 22 district courts and four sub-divisonal courts. Disputes worth over Rs.82 crores were also settled during the day-long programme.

On the direction of the Supreme Court and National Legal Services Authority (NALSA), every high court, sub-ordinate courts up to the level of sub-divisions invited petitioners and respondents to settle their cases after going through proper judicial process.

Inaugurating the lok adalat camp at high court premises, Chief Justice of Jharkhand high court Justice R Banumathi said the Constitution of India guarantees, equal justice to all. "Still the poor and the underprivileged section of the society are deprived of justice owing to lack of judicial awareness, money and absence of platform where they can seek legal aid," she said clarifying that the concept of lok adalat with statutory mandate of making justice available to the deprived has come a long way in addressing their woes.

The high court legal services committee (HCLSC) and Jharkhand legal services authority (JHALSA) under the aegis of NALSA arranged seven different benches to hear pre-litigation cases of different natures.

> Among seven categories, writ petitions related to salary, post-retiral benefit, pension, and gratuity were dealt in large numbers

Among the seven broad categories, writ petitions related to salary, post-retiral benefit, pension, and gratuity were dealt in huge numbers. Matters related to labour disputes; motor vehicles, accidental claim cases & matters related to Workmen's Compensation Act were also settled at the lok adalat.

First Appeal cases involving land acquisition issues worth Rs 5 lakh and below, matrimonial dispute matters, contempt (civil) matters, issues related to employees provident funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 were short listed by inviting applications from petitioners who desired to get their matters settled at the adalat.

Member secretary of JHALSA, Sajjan Kumar Dubey said the high court bench alone disposed of around 632 cases, few among them failed to reach an amicable settlement. "Little less than one dozen women who had been struggling for compensatory appointment with the CCL for more than eight years were extremely happy with the judgement that favoured them whereas the Ranchi civil court settles some family issues," he said.

Pics: Mahadeo Sen

REDUCING THE BURDEN: Chief Justice of the Jharkhand high court R Banumathi (above left) at the inauguration of the national lok adalat in Ranchi on Saturday; and (left) hundreds of people gathered at Ranchi civil court for fast disposing of cases. The legal camps were held in the state high court, 22 district courts and four sub-divisonal courts in the state to lessen the burden on the judiciary system

Legal camps see heavy footfall in districts

TIMES NEWS NETWORK

Bokaro/Hazaribag/Daltonganj: More than 4,000 cases were resolved on Saturday at the national lok adalat camps in just two districts, Bokaro and Hazaribag.

In Bokaro, the lok adalat camp was organized by the District Legal Services Authority (DLSA) in the civil court premises here.

Bokaro was one of the few districts in the state where the court proceedings were shown through video conferencing at the Supreme Court. There were 16 benches, comprising additional district and sessions judges, chief judicial magistrate, additional chief judicial magistrate, munsif, sub-judge, judicial magistrates and advocates that have been formed to solve the disputes.

Cases related to banks, telecom, dowry, electricity, excise, labour act, insurance and forest were taken up at the camps.

Of the 2,879 cases settled at the lok adalat camp in Bokaro, 530 were related to banking problems with State Bank of India, 505 related to the electricity department and 342 to the Deputy Collector Land Reforms and others.

In Hazaribag, the national lok adalat was presided over by Justice Prashant Kumar of the Jharkhand high court who is also the zonal judge of the Hazaribag sessions court. The initiative was a huge success with many people from remotest pockets attempting the proceedings. More than 1,500 cases related to forest, revenue, excise, civil and police departments, labour, electricity board and municipalities and cantonment board at Ramgarh were disposed of.

Justice P P Bhatt of the Jharkhand high court inaugurated the camp at Daltonganj. Justice Bhatt in his speech urged villagers to make the most of lok adalat. He said what (lok adalat) started in 1982 in a small block of Gujarat's Unnao is now a household name.

The ceremony was attended by lawyers, besides pro vice chancellor of Nilambar Pitamber University A N Ojha and registrar Amar Singh.

Lok adalats make world record in 6 hrs

Dhananjay Mahapatra | TNN

The simultaneous functioning of lok adalats was televised live through web casting, a facility provided by the Supreme Court's e-committee

New Delhi: At a time when 16,000-odd trial courts, 21 high courts and the Supreme Court are battling with over 3 crore pendency, a nation-wide simultaneous holding of Lok Adalats opened on Saturday by Chief Justice P Sathasivam achieved a world record by disposing of 28.6 lakh cases in a matter of 8 hours.

"What is important is that these cases will be settled and reach a finality without litigants going back home with a sense of rancour that drives them to file appeal in higher courts. Settlement of the cases leaves both parties happy both in heart as well as in the pocket," said Justice G S Singhvi, executive chairman of National Legal Services Authority (NALSA).

The simultaneous functioning of Lok Adalats in people friendly atmosphere was televised live through web casting, a facility provided by the apex court's e-committee headed by Justice Madan B Lokur. A whopping 39 lakh cases were put up for settlement in a friendly atmosphere of Lok Adalat without the overbearing presence of court staff or the unfathomable legalese.

The litigants discussed among each other and when they agreed for a settlement, in 28.6 lakh cases, it was recorded by a judicial officer bringing an end to the dispute.

How are Lok Adalats different from the courts? Answering the self-posed question, Justice A K Patnaik, who also heads the Supreme Court Legal Services Committee, said an accident victim after moving at a snail's pace through a clogged pathway in three-tier justice delivery system gets compensation years later.

But the Lok Adalats would provide immediate relief, which is more useful to a victim than the money he receives years later and realizes that inflation has significantly devalued the quantum of compensation, he said.

CJI Sathasivam said the Lok Adalats, like courts, would strictly adhere to principles of natural justice and record a just settlement without diluting the cardinal adage –justice should not only be done but seen to have been done. He said in Delhi alone, Lok Adalats on Saturday would try settle nearly 3 lakh cases, of which 2.73 were traffic violation cases.

Justice Singhvi said he hoped that as many as 20 lakh cases would end in settlement bringing cheers to litigants. He said Lok Adalats were a people-driven concept, which should be popularized to make justice affordable.

However, the Supreme Court's Lok Adalat referral and disposals were a miniscule. On Saturday, three Lok Adalats in apex court will hear 107 cases. In the six editions of Lok Adalats held in Supreme Court between 2008 and 2010, as many as 451 cases were referred and only 180 had been settled.

Justices Singhvi and Patnaik explained why litigants were unwilling to settle the case after it had reached the Supreme Court. They said once the litigant spends a lot of money and time fighting his case in the trial court and the High Court, he felt that he would endure a little more time in the apex court to get a favourable verdict.

R S Gujaral, secretary in Department of expenditure in finance ministry, said "we need to ascertain more areas for settlement" than the accident claims, cheque bouncing cases, traffic challans and family disputes.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 54 करोड़ के मामले निष्पादित

संक्षिप्त

नये सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र कल

रांची : जल संसाधन विभाग के लिए बहाल किये गये 86 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र के लिए अब एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। अभियंता को रविवार के बदले सोमवार को नियुक्ति पत्र मिलेगा। विभाग ने 24 नवंबर की तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है। संभवतः रविवार की वजह से यह फैसला लिया गया है। 25 नवंबर की शाम 4 बजे विभागीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी डोरंडा स्थित इंजीनियर भवन में आयोजित एक समारोह में अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देंगी। 86 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति जेपीएससी के जरिये हुई है। इनमें आधा दर्जन को ओबीसी और बाकी एससी-एसटी कोटे से हैं।

विनय चौबे और राजेश शर्मा को अतिरिक्त प्रभार

रांची : रांची के डीसी विनय कुमार चौबे को राज्य कृषि विपणन पर्षद के निदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नगर विकास विभाग के निदेश जॉन पास्कल लकड़ा के राज्य से बाहर चुनाव में पर्वेक्षक बनाये जाने की वजह से आदिवासी कल्याण आयुक्त राजेश कुमार शर्मा को नगर विकास विभाग के निर्देश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से संबंधित अधिसूचना शनिवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी कर दी गयी है।

मणिशंकर पर्यवेक्षक नियुक्त

40 न्यायिक बेंचों ने निबटाये मामले

संवाददाता

रांची: देश के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत ने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के मामले में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। शनिवार को राज्य भर में लगे लोक अदालतों में मामलों के निष्पादन को लेकर स्थिति यह थी कि जगह-जगह शिविर लगाकर मामलों का निष्पादन किया गया। शनिवार को हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामले निष्पादित किये गये। राष्ट्रीय लोक अदाल के जरिये 54 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसमें हाईकोर्ट में 18 करोड़ और सिविल कोर्ट में 36 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। सिविल कोर्ट में कुल 16 हजार मामले का निबटारा किया गया। इसके अलावा अभी और मामलों के आंकड़े आने बाकी हैं।

समझौतों के आधार पर होता है निष्पादनः सीजे

हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन के करते हुये मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति ने कहा कि लोक अदालत के जरिये वादी-प्रतिवादी के बीच समझौतों के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है। यहां मामलों के निष्पादन के बाद कोई अपीलीय व्यवस्था नहीं है। इस वजह से त्वरित रूप से मामले निष्पादित होते हैं, जिससे मुअक्किलों की लंबी लड़ाई की जरूरत नहीं होती।

वादी-प्रतिवादियों के संबंध बने रहते हैं: न्यायमूर्ति तिवारी

हाईकोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनएन तिवारी ने कहा कि लोक अदालत न्याय पाने क ऐसा साधन है, जिसमें मामलों वे निष्पादन के बाद भी वादी-प्रतिवादि के संबंध बने रहते हैं। उन्होंने कह कि आर्थिक मापदंडों पर भी यहां क निबटारा सबसे सस्ता होता है झारखंड राज्य विधिक से प्राधिकार(झालसा) के कार्यका अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने क कि तीन जिलों रांची, बोकारो औ हजारीबाग के मामलों को वीडि कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा ग जो देश भर में दूसरे स्थान पर है इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर बानुमति ने हाई कोर्ट और सिवल कोर्ट में कुछ लोगों को भुगतान से संबंधित चेक प्रदान किये। इसके अलावा उन्होंने अलग होनेवाले पति-पत्नी के पांच जोड़ों फिर से एक साथ जीवन व्यतीत करने के फैसले पर बधाई दी। अदालत के लिये हाईकोर्ट में सात और सिविल कोर्ट में 33 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, रेलवे, बिजली, माप-तौल, लेबर और सर्टिफिकेट समेत 14 प्रकार के मामलों का निष्पादन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के सीजे ने देखा मामलों का निष्पादन

सिविल कोर्ट में लगे वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सीजे पी सदाशिवम और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी, सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके पटनायक समेत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की प्री-लीटिगेटेड मामलों की कार्रवाई को देखा।

इन जोड़ों का बसा संसार

सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सात पूर्व शादी शुदा जोड़ों का संसार फिर से बस गया। इनमें से पांच जोड़े को मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति ने माला पहनाकर शुभकामना दी। इनमें लोहरदगा निवासी मेहराब अली और वाजिदा तबस्सुम, काफिल अख्तर और असगरी परवीन, रांची निवासी अरविंद कुमार और अर्चना देवी, इरशाद खां और रौशन आरा उर्फ तरन्नुम और मुकेश भगत और शारदा देवी हैं।

सड़क दुर्घटना के सात लोगों को मिला चेक

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य न्यायाधीश के हाथों सड़क दुर्घटना के सात मामले से जुड़े लोगों को चेक प्रदान किया गया। इनमें कार्तिक राम गुप्ता को 9.50 लाख, कौशल्या देवी को साढ़े तीन लाख, उजू उरांव को तीन लाख, सोहगी देवी को 3.55 लाख, सावित्री देवी को 3.30 लाख, मनु कुजूर को 2.70 लाख और रितु कुजूर को 2.70 लाख रुपये का दिया गया।

श्रम न्यायालय के आठ मामले निष्पादित

राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम न्यायालय के आठ मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें मजदूरों को कुल सात लाख 15 हजार चौर सौ 74 रुपये का भुगतान किया गया। मामलों में जिन्हें भुगातन किया गया उनमें नाजमुन खातुन बनाम सत्येंद्र कुमार, श्री प्रवर्तन पदाधिकारी बनाम परीक्षित महतो, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बनाम परीक्षित महतो, महीपाल मां द्वारा श्र प्र पदा बनाम हराधन महतो, कातला मां, श्र प्र पदा बनाम हराधन महतो, सितु देवी द्वारा श्र प्र पदा बनाम हराधन महतो, लालमुनी कुमारी द्वारा श्र प्र पदा हराधन महतो और अशिरन खातून बनाम चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी प्रमुख हैं।

जेल अदालत से15 कैदी मुक्त

राट्रीय लोक अदालत में डीएलएसए के तत्वावधान में जेल अदालत का आयोजन किया गया। अदालत के जरिये कुल 53 मामलों में से 17 का निष्पादन किया गया, जिससे 16 कैदी लाभान्वित हुये।

सभी 16 कैदियों में से 15 को शनिवार को मुक्त कर दिया गया, जबकि एक कैदी के अर्थदंड की राशि जाम नहीं होने से उसे मुक्त नहीं किया जा सका। मौके पर न्यायाकि दंडाधिकारी दीपक वर्णवाल, एसएन तिवारी, चंदन, श्वेता कुमारी, अर्चना कुमार के अलावा कारधीक्षक दिलीप कुमार प्रधान, कारापाल नरेंद्र प्रसाद सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना जरूरी : अवधेश

रांची : पूर्व सांसद व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य राम अवधेश सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना होना जरूरी है। जब तक उच्चतर न्यायपालिका और जिला जजों की नियुक्ति आयोग द्वारा नहीं की जायेगी, तब तक आम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। श्री सिंह शनिवार को रांची परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत आयोग की स्थापना के लिए राष्ट्रव्यापी संघर्ष करना होगा। चारा घोटाले में देश में पहली बार पटना हाई कोर्ट ने तीन जजों ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को बदल कर सीबीआई को लालू प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। वहीं दानापुर के ब्रिगेडियर को गिरफ्तार करने का सीधे आदेश दे दिया था। बिग्रेडियर ने इस पर नाराजगी जतायी और जज को कहा कि उन्हें केवल कमांडर इन चीफ ही आदेश दे सकता है। श्री सिंह ने जजों की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए ताकि उच्चतर न्यायपालिका में कुलीनतंत्री परिवारों के एकाधिकार को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के दस सदस्यों में आठ दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी के सदस्य व दो द्विज सदस्य रहेंगे तब प्रशासन ठीक ढंग से काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की मौखिक परीक्षा 300 अंक की जगह 30 अंक की होनी चाहिए। श्री सिंह अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। मौके पर संघ के प्रदेश प्रभारी कृष्ण दयाल सिंह भी उपस्थित थे।